निर्णय 29.05.2024 | 2024/150 (D)

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

भीमसिंह बनाम रजीराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 215 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 31.05.2024 को पेश हो। [signature]	रजीराम राजबाला शकुन्तला फर्द [illegible]
27.5.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिस्ल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं.1 ता 3 ने जरिये वकील रोहिताश उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 29.5.2024 को पेश हो। [signature]	
29.5.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब पेश हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रतिवादी की स्वयं की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पृथक् [illegible] निर्णय अलग से लिखाया जाकर [illegible] किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:48:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 214/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
भीम सिंह पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी चक 8 एन.डब्ल्यू.डी., रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. रजीराम पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्री रजीराम पत्नी पप्पु कुमार जाति जाट निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. शकुन्तला पुत्री रजीराम पत्नी चन्दूराम जाति जाट निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री बनवारीलाल जोशी वकील–वादी
श्री रोहिताश वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक– 29-05-2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई चक 8 एन.डब्ल्यू.डी. के प.नं. 195/49 (33) के किला नम्बर 11 ता 15 की 1.265 है0, प. नं. 195/57 (32) के किला नम्बर 9/2 की 0.126 है., 10/3 की 0.1140 है., 11/2 की 0.228 है., 12 की 0.253 है., 13 की 0.253 है. कुल तादादी 2.2390 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29-05-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:48:36 IST
Reason: SelfAttested